पत्र संख्या-बजट–02/रा०, 2014–15 18आवे०/रा०

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

प्रेषक,

बी० प्रधान,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नालन्दा/मुजफ्फरपुर/वैशाली/पूर्वी चम्पारण/जहानाबाद/औरंगाबाद/अरवल/भागलपुर/बेगूसराय/शेखपुरा/सुपौल/पूर्णियाँ/कटिहार/किशनगंज/दरभंगा/समस्तीपुर/छपरा/सिवान।

प्रभारी प्रमंडलीय राजभाषा उपनिदेशक-सह-प्रमंडलायुक्त के सचिव,
दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।

पटना, दिनांक- 27/03/2015

विषय:- बजट शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–094–अन्य स्थापनाएँ-0008–राजभाषा स्थापना-मांग संख्या-04 तथा विपत्र कोड-"एन 2053000940008" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 की शेष अवधि के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक द्वितीय राजभाषा (उर्दू) के अधीन उर्दू निदेशालय तथा राज्य के समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालयों के उर्दू भाषा कोषांग में पदस्थापित एवं कार्यरत उर्दू अनुवादकों, सहायक उर्दू अनुवादकों, उर्दू–हिन्दी टंककों एवं कार्यालय परिचारियों के वेतनादि के भुगतान तथा प्रमंडलीय राजभाषा कार्यालयों की स्थापना एवं अन्य आनुषांगिक व्यय हेतु निदेशानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 की शेष अवधि के लिए तृतीय अनुपूरक आगणन के अधीन प्राप्त राशि का आवंटन निम्न रूप में संलग्न सूची के अनुसार आवंटित की जाती है:–

कोड	इकाईयाँ/ उप इकाईयाँ	वित्तीय वर्ष 2014–15 में तृतीय अनुपूरक आगणन में प्राप्त राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
01 01	वेतन	1,46,50,000	1,46,50,000
01 03	जीवन यापन भत्ता	1,46,50,000	1,46,50,000
01 04	मकान किराया भत्ता	6,20,000	6,20,000
01 06	चिकित्सा भत्ता	80,000	80,000
कुल		**3,00,00,000**	**3,00,00,000**
(कुल तीन करोड़ रुपये मात्र)			

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि०, दिनांक–17.04.1998, 253/वि०, दिनांक–11.03.2014, 687/वि०, दिनांक–24.07.2014, 243/वि०, दिनांक–13.03.2015 एवं 293/वि०, दिनांक–24.03.2015 के आलोक में स्वीकृत है।

3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–400/वि०, दिनांक–16.05.2004 के आलोक में वेतन की किसी उप इकाई में कम राशि आवंटित होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार उसकी पूर्त्ति वेतन मद की किसी दूसरी उप इकाई में आवश्यकता से अधिक आवंटित राशि से की जा सकती है।

27/3

4. उप आवंटन निर्गत करने तथा राशि की निकासी/व्ययन की कार्रवाई के क्रम में सेवानिवृत्त/बीमार/मृत/निलंबित कर्मियों के बकाया वेतनादि/सेवांत लाभ/जीवन निर्वाह भत्त के भुगतान तथा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन में बिहार वित्त नियमावली, बिहार कोषागार संहिता, बजट मैनुअल एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर निर्गत तत्संबंधी आदेशों/निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनियमित निकासी/व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की सारी जवाबदेही संबंध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन के अधीन आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या-293/वि०, दिनांक-24.03.2015 के आलोक में दिनांक 31 मार्च, 2015 तक के अवधि के लिए मान्य है।

7. चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्त आवंटन, कुल व्यय की गई राशि, कुल अवशेष तथा कुल प्रत्यर्पित की जानेवाली राशि की सूचना विहित प्रपत्र में दिनांक 31 मार्च, 2015 तक निश्चित रूप से विभागीय फैक्स संख्या 06122520128/विशेष दूत/स्पीड पोस्ट द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दी जाए। ताकि समेकित प्रत्यर्पण प्रतिवेदन यथासमय वित्त विभाग को उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई न हो सके।

अनुलग्नक : आवंटन सूची।

विश्वासभाजन

ह०/-
(बी० प्रधान)
प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या- बजट-02/रा०. 2014-15 1831/99 रा०, पटना, दिनांक- 27-03-2015

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, प्रमंडलायुक्त के सचिव/आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी० प्रधान) 27/3/15
प्रधान सचिव

C:\Users\DELL\Desktop\Budget-02-Ra- 2014-15 (Jagdish).docx

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

बजट शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–094–अन्य स्थापनाएँ–0008–"राजभाषा स्थापना" मांग सं0–4 तथा विपत्र कोड–एन 2053000940008 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपयोग हेतु अतिरिक्त राशि का आवंटन :–

क्र0 सं0	जिला / प्रमंडल	वेतन 01 01	जीवन यापन भत्ता 01 03	मकान किराया भत्ता 01 04	चिकित्सा भत्ता 01 06	कुल योग	कुल राशि शब्दों में
1	नालंदा	1000000	1000000	50000	0	2050000	बीस लाख पचास हजार रूपये मात्र
2	मुजफ्फरपुर	500000	500000	0	0	1000000	दस लाख रूपये मात्र
3	वैशाली	500000	500000	50000	10000	1060000	दस लाख साठ हजार रूपये मात्र
4	पूर्वी चम्पारण	400000	400000	20000	0	820000	आठ लाख बीस हजार रूपये मात्र
5	जहानाबाद	1500000	1500000	50000	10000	3060000	तीस लाख साठ हजार रूपये मात्र
6	औरंगाबाद	500000	500000	50000	5000	1055000	दस लाख पचपन हजार रूपये मात्र
7	अरवल	1000000	1000000	50000	10000	2060000	बीस लाख साठ हजार रूपये मात्र
8	भागलपुर	1000000	1000000	80000	10000	2090000	बीस लाख नब्बे हजार रूपये मात्र
9	बेगूसराय	1000000	1000000	50000	10000	2060000	बीस लाख साठ हजार रूपये मात्र
10	शेखपुरा	300000	100000	10000	0	410000	चार लाख दस हजार रूपये मात्र
11	सुपौल	500000	500000	0	0	1000000	दस लाख रूपये मात्र
12	पूर्णियाँ	1500000	1500000	80000	10000	3090000	तीस लाख नब्बे हजार रूपये मात्र
13	कटिहार	1000000	1000000	0	0	2000000	बीस लाख रूपये मात्र
14	किशनगंज	500000	500000	50000	0	1050000	दस लाख पचास हजार रूपये मात्र
15	दरभंगा	500000	500000	0	8000	1008000	दस लाख आठ हजार रूपये मात्र
16	समस्तीपुर	1200000	1400000	20000	600	2620600	छबीस लाख बीस हजार छह सौ रूपये मात्र
17	छपरा	500000	500000	0	0	1000000	दस लाख रूपये मात्र
18	सीवान	1000000	1000000	50000	4000	2054000	बीस लाख चौवन हजार रूपये मात्र
19	दरभंगा प्रमंडल	250000	250000	10000	2400	512400	पाँच लाख बारह हजार चार सौ रूपये मात्र
	कुल योग	**14650000**	**14650000**	620000	80000	30000000	तीन करोड़ रूपये मात्र

26/3/2015

Bimbadhar Pradhan 27/3/15

(बी0 प्रधान)

प्रधान सचिव